



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 29-11-2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने 03 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार,
जिनके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ वजन करीब 84 किलोग्राम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 03 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ वजन करीब 84 किलोग्राम बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अनस पुत्र जावेद चिन्नू निवासी मौ० नई बस्ती कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2. शावेज पुत्र शहजाद निवासी मौ० नई बस्ती कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3. आजम पुत्र रागीब निवाली मौ० नई बस्ती कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध विस्फोटक पदार्थ वजन करीब 84 किलोग्राम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा ।
2. है०का० 442 मौहम्मद आफाक थाना खेकड़ा ।
3. है०का० 292 सिराज थाना खेकड़ा ।
4. है०का० 652 मोहित कुमार ।
5. का० 250 कोमल कुमार थाना खेकड़ा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 29.11.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 308/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.11.24 को थाना छपरौली पर वादी कान्ती प्रसाद पुत्र रामफल निवासी ग्राम रासना जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शिवांक पुत्र श्याम सुंदर निवासी ग्राम चौबली थाना छपरौली द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग की, मांग पूरी न होने पर दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 308/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 308/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवांक पुत्र श्याम सुंदर निवासी ग्राम चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. उ.नि. श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. का. 227 अनिल कुमार डागुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 29.11.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का

नाम व पता-

1. शहजाद पुत्र जमशेद निवासी ग्राम कोताना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
2. ऋषभ पुत्र सुधीर निवासी बड़ौली रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



3. सुमित पुत्र ओमपाल सिंह निवासी गुराना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4. बिलाल कुरैशी पुत्र सीनू कुरैशी निवासी मौ० कसाईयान पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

5. नबाब पुत्र सादी साई निवासी बडका थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- उ०नि० श्री संजय सिंह पुनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- है०का० 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- है०का० 674 प्रवेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6- है०का० 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7- है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8- है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 9- का० 989 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 10- का० 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
11. एचजी वीरपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.11.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिब पुत्र इरफान निवासी मौ0 ईदगाह पक्का घाट कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 900/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 814/23 धारा 380/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
- 3-मु0अ0सं0 352/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत
- 4-मु0अ0सं0 986/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।
- 4-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 29.11.2024

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति

अवैध असलाह/चाकू आदि का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि पुत्र रणवीर निवासी ग्राम बाखरपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नन्दकिशोर थाना बालैनी बागपत ।

2-का0 418 परमजीत थाना बालैनी बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 28.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 15.11.24 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना कि अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र गजे सिंह, 2.अनुज पुत्र प्रमोद, 3.अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह, 4.प्रवीण पुत्र सुबोध व 02 महिला समस्त निवासीगण ग्राम मालमाजरा द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डो व हथियारो से लेस होकर वादिया व वादिया के पति रमेशपाल के साथ गाली-गलौच कर लाठी डन्डो से मारपीट की व वादिया के पति रमेशपाल को अभियुक्त अनुज पुत्र प्रमोद द्वारा तमंचे से गोली मार दी जिससे वादिया के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त



तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस में

वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट – उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों प्रमोद पुत्र गजे, अनुज पुत्र प्रमोद व अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह को थाना बिनौली पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रवीण पुत्र सुबोध निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-का0 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5-का0 चालक सचिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

